संख्या- 65/2025 /I/962474/2025-68-4099/60/2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/राजकीय विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को **निःशुल्क स्कूल बैग** उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः शि0नि0(बे0)/नियोजन/3466-69/2025-26, दिनांक 30-04-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/राजकीय विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 35000.00 लाख में से रूपये 28000.00 लाख (रूपये दो अरब अस्सी करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क स्कूल बैग दिये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 35000.00 लाख में से **रूपये 28000.00 लाख (रूपये दो अरब अस्सी करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को उसी कार्य एवं प्रयोजन हेतु व्यय किया जायेगा, जिस कार्य एवं प्रयोजन के लिए धनराशि दी जा रही है।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत योजना के गाईड-लाइन्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) किसी भी अनियमितता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-71 के अंतर्गत लेखाशीर्ष ''2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-04-प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग दिया जाना-42-अन्य व्यय'' मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज ।
3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0/माध्यमिक शिक्षा/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
7- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
8- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय/बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
9- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
11- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।